




अंचल कार्यालय, रानीश्वर, दुमका

आदेश फलक

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
03/07/2020	<p>आदेश</p> <p>ई राजस्व न्यायालय का केस नं0-3/2015-16 श्री डेविड हेम्बरम ग्राम-पाथरचाल के जमाबंदी नं0-22 दाग सं0-471 रकवा 0-2-9 धूर जमीन को संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें। दिनांक-10/07/2020 को उपस्थापित करें।</p> <p> अंचल अधिकारी, रानीश्वर।</p>	
10/07/2020	<p>राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त। जॉचोपरान्त प्रतिवेदित किया है कि मौजा-पाथरचाल के आवेदक डेविड हेम्बरम द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिया है। भू-अभिलेख के अनुसार जमाबंदी नं0-22 मौजा-पाथरचाल सं0-11 के खतियानी रैयत सुन्दर टुडू, सुना टुडू बगैरह के नाम से गेंजर सर्वे खतियान में दर्ज है। जबकि दाग सं0-471 जमीन ऑन लाईन पंजी 2 के जमाबंदी नं0-15 में पाया गया। इस प्रकार आवेदक ने गलत जमाबंदी नं0-22 का सीमांकन हेतु आवेदन किया है।</p> <p>अतः ऐसी स्थिति में ई-राजस्व न्यायालय वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है एवं निदेश दिया जाता है कि मापी हेतु Jharbhoomi.nic.in पर ऑन लाईन आवेदन करें।</p> <p>लेखापित  अंचल अधिकारी, रानीश्वर।</p> <p> अंचल अधिकारी, रानीश्वर।</p>	

संवा में
श्रीमान अंचलधिकारी
दलीवर।

द्वारा: अंचल निरीक्षक दलीवर।

विषय: आवेक डीडी द्वारा सीमेंट हेतु आवेक आवेक
का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाराज,

संवदीत आवेकानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में गाँव -
पाचरचाल जाम आवेक डीडी इलाहाबाद जाम - पाचरचाल पंचायत - दंडाधिकारी
गाँव - दलीवर द्वारा सीमेंट हेतु आवेक आवेक पत्र का स्विकृत
जांच ग्राहणी के समक्ष किया। जांचपत्र एवं ग्राहणी से पूछा
पता कि आवेक अमावसी सं. 22 गाँव - पाचरचाल सं. 11 स्विकृती
होगा पुनः रु. 50, रु. 50 वगैरे के नाम से गैर सबे स्विकृत में हवा
है। आवेक द्वारा आवेक लाग सं. 171 अमावसी सं. 15 के अन्तर्गत
पंजी - II में हवा है। आवेक न गयी हेतु अमावसी सं. - 22 के अन्तर्गत
गाम आवेक किया है।

अतः आवेक डीडी इलाहाबाद जाम - पाचरचाल द्वारा आवेक
आवेक का अस्वीकृत किया जा सकता है।

महाराज
गाँव - पाचरचाल के दफा सं. 471 अमावसी
सं. 15 के अन्तर्गत सबे स्विकृत में दफा है।
किंतु आवेक के अमावसी सं. 22 के दफा सं. 471
का गयी हेतु आवेक आवेक किया है जो
गलत है। अतः गयी को अस्वीकृत किया
जा सकता है।

दिनांक
6-7-2020
C-1

विशालभाजन
प्रंसिल प्रदायी (ए. डी. सि.)
दफा सं. - 5
दिनांक - 04.07.2020